

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 49)

[27 दिसम्बर, 2016]

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और
उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को
प्रभावी बनाने के लिए
अधिनियम

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, 13 दिसम्बर, 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया था;
और पूर्वोक्त अभिसमय दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित करता है:—

(क) अंतर्निहित गरिमा, वैयक्तिक स्वायत्तता के लिए आदर, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्वयं की पसंद की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता भी है;

(ख) अविभेद;

(ग) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और सम्मिलित होना;

(घ) मानवीय भेदभाव और मानवता के भाग के रूप में दिव्यांगजनों की भिन्नता के लिए आदर और उनका ग्रहण;

(ङ) अवसर की समानता;

(च) पहुंच;

(छ) पुरुषों और स्त्रियों के बीच समता;

(ज) दिव्यांग बालकों की बढ़ती हुई क्षमता के लिए आदर और दिव्यांग बालकों की पहचान परिरक्षित करने के उनके अधिकार के लिए आदर;

और भारत उक्त अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता है;

और भारत ने, 1 अक्टूबर, 2007 को उक्त अभिसमय का अनुसमर्थन किया था;

और पूर्वोक्त अभिसमय को कार्यान्वित करना आवश्यक समझा जाता है।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अपील प्राधिकारी” से, यथास्थिति, धारा 14 की उपधारा (3) या धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित या धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) “समुचित सरकार” से,—

(i) केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन या छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) के अधीन गठित किसी छावनी बोर्ड के संबंध में, केन्द्रीय सरकार;

(ii) कोई राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन या छावनी बोर्ड से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी के संबंध में, राज्य सरकार,

अभिप्रेत है;

(ग) “रोध” से ऐसा कोई कारक अभिप्रेत है जिसमें संसूचनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, संस्थागत, राजनैतिक, सामाजिक, भाव संबंधी या अवसंरचनात्मक कारक सम्मिलित है जो समाज में दिव्यांगजनों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकते हैं;

(घ) “देख-रेख कर्ता” से माता-पिता और कुटुंब के अन्य सदस्यों सहित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संदाय करने पर या उसके बिना, किसी दिव्यांगजन को देख-रेख, सहारा या सहायता देता है;

(ङ) “प्रमाणकर्ता प्राधिकारी” से धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(च) “संसूचना” में संसूचना के उपाय और रूप विधान, भाषाएं, पाठ का प्रदर्श, उत्कीर्ण लेख, स्पर्शनीय संसूचना, संकेत, बड़ा मुद्रण, पहुंच योग्य मल्टीमीडिया, लिखित, श्रव्य, विडियो, दृश्य, प्रदर्शन, संकेत भाषा, सरल भाषा, ह्यूमन-रीडर, संवर्धित तथा अनुकल्पी पद्धति और पहुंच योग्य जानकारी और संसूचना प्रौद्योगिकी सम्मिलित है;

(छ) “सक्षम प्राधिकारी” से धारा 49 के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) दिव्यांगता के संबंध में “विभेद” से दिव्यांगता के आधार पर कोई विभेद, अपवर्जन, निर्बंधन अभिप्रेत है जो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल या किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के संबंध में अन्य व्यक्तियों के साथ किसी सामान्य आधार पर मान्यता, उपभोग या प्रयोग हासिल करने या अकृत करने का प्रयोजन या प्रभाव है और जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के विभेद और युक्तियुक्त सुविधाओं का प्रत्याख्यान भी है;

(झ) “स्थापन” के, अंतर्गत कोई सरकारी और प्राइवेट स्थापन भी है;

(ञ) “निधि” से धारा 86 के अधीन गठित राष्ट्रीय निधि अभिप्रेत है;

(ट) “सरकारी स्थापन” से केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय अभिप्रेत है और जिसमें सरकार का कोई विभाग भी सम्मिलित है;

(ठ) “उच्च सहायता” से शारीरिक, मानसिक और अन्यथा ऐसी गहन सहायता अभिप्रेत है जो दैनिक क्रियाकलाप के लिए संदर्भित दिव्यांगजन द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में जिसके अंतर्गत शिक्षा, नियोजन, कुटुंब और सामुदायिक जीवन और व्यवहार तथा रोगोपचार भी है, पहुंच संविधाएं और भागीदारी के लिए स्वतंत्र और बुद्धिमान विनिश्चय लेने के लिए अपेक्षित हो सकेगी;

(ड) “सम्मिलित शिक्षा” से ऐसी शिक्षा पद्धति अभिप्रेत है जिसमें दिव्यांगता और दिव्यांगता रहित छात्र एक साथ विद्या ग्रहण करते हैं और शिक्षण और विद्या की पद्धति, विभिन्न प्रकार के दिव्यांग छात्रों की विद्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित रूप से अनुसूचित की गई है;

(ढ) “सूचना और संचार प्रौद्योगिकी” के अंतर्गत सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी सेवा और नव परिवर्तन भी हैं जिनके अंतर्गत टेलीकाम सेवाएं, वेब आधारित सेवाएं, इलैक्ट्रानिक और मुद्रण सेवाएं, डिजिटल और परोक्ष सेवाएं भी है;

(ण) “संस्था” से दिव्यांगजनों के लिए प्रवेश, देख-देख, संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और किसी अन्य क्रियाकलाप के लिए कोई संस्था अभिप्रेत है;

(त) “स्थानीय प्राधिकरण” से संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ड) और खंड (च) में यथापरिभाषित नगरपालिका या पंचायत; छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) के अधीन गठित छावनी बोर्ड; और नागरिक क्रियाकलापों का प्रशासन करने के लिए संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के अधिनियम के अधीन स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(थ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित करना” या “अधिसूचित” पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(द) “संदर्भित दिव्यांगजन” से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत, विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के चालीस प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत है, जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित नहीं की गई है और इसमें ऐसा दिव्यांगजन भी सम्मिलित है जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित गई है;

(ध) “दिव्यांगजन” से ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रुकावट उत्पन्न होती है;

(न) “उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाला दिव्यांगजन” से धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रमाणित संदर्भित दिव्यांगजन अभिप्रेत है, जिसे उच्च सहायता की आवश्यकता है;

(प) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(फ) “प्राइवेट स्थापन” से कोई कंपनी, फर्म, सहकारी या अन्य सोसाइटी, संगम, न्यास, अभिकरण, संस्था, संगठन, संघ, कारखाना या ऐसा कोई अन्य स्थापन अभिप्रेत जो समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(ब) “सार्वजनिक भवन” से कोई सरकारी या निजी भवन अभिप्रेत जो अत्यधिक जनता द्वारा उपयोग किया जाता है या उनकी पहुंच में है, जिसके अंतर्गत शैक्षिक या व्यावसायिक प्रयोजनों के कार्य स्थल, वाणिज्यिक क्रियाकलापों, सार्वजनिक सुविधाओं, धार्मिक, सांस्कृतिक, अवकाश या मनोरंजक क्रियाकलापों, चिकित्सीय या स्वास्थ्य सेवाओं, विधि प्रवर्तन अभिकरणों, सुधारात्मक या न्यायिक फोरम, रेलवे स्टेशनों या प्लेटफार्मों, सड़क परिवहन बस स्टैंडों या टर्मिनल, विमानपत्तनों या जलमार्गों के लिए उपयोग किए जाने वाले भवन भी है;

(भ) “सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं” के अंतर्गत बृहत स्तर पर जनता को सेवाएं प्रदान करने के सभी रूप आते हैं जिनके अंतर्गत आवास, शिक्षा या वृत्तिक प्रशिक्षण, नियोजन और वृत्तिक उन्नयन, विक्रय स्थल या विपणन केन्द्र, धार्मिक, सांस्कृतिक, अवकाश या मनोरंजक, चिकित्सा, स्वास्थ्य और पुनर्वास, बैंककारी, वित्त और बीमा, संचार, डाक और सूचना, न्याय तक पहुंच, सार्वजनिक उपयोगिताएं, परिवहन भी हैं;

(म) “युक्तियुक्त आवासन” से दिव्यांगजनों के लिए अन्य व्यक्तियों के समान अधिकारों के उपभोग या उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, किसी विशिष्ट दशा में, अननुपातिक या असम्यक् बोझ अधिरोपित किए बिना, आवश्यक और समुचित उपांतरण तथा समायोजन अभिप्रेत हैं;

(य) “रजिस्ट्रीकृत संगठन” से संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत दिव्यांगजनों का कोई संगम या दिव्यांगजन संगठन, दिव्यांगजनों के माता-पिता का संगम, दिव्यांगजनों और कुटुंब के सदस्यों का संगम या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी या पूर्ण संगठन या न्यास, सोसाइटी या दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली अलाभकारी कंपनी अभिप्रेत है;

(यक) “पुनर्वास” से दिव्यांगजनों को, अनुकूलतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या सामाजिक कार्य के स्तरों को प्राप्त करने और उनको बनाए रखने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट है;

(यख) “विशेष रोजगार कार्यालय” से—

(i) ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जो दिव्यांगजनों में से कर्मचारियों को लगाना चाहते हैं;

(ii) ऐसे संदर्भित दिव्यांगजन के संबंध में जो नियोजन चाहते हैं;

(iii) ऐसी रिक्तियों के संबंध में जिन पर संदर्भित दिव्यांगजन नियोजन चाहते हैं, नियुक्त किए जा सकेंगे,

रजिस्टर रखते हुए या अन्यथा सूचना एकत्रित करने या सूचना देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित कोई कार्यालय या स्थान अभिप्रेत है;

(यग) “विनिर्दिष्ट दिव्यांगता” से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं अभिप्रेत हैं;

(यघ) “परिवहन प्रणाली” के अंतर्गत सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, अंतिम मील तक संबद्धता के लिए सह-अभिवहन प्रणाली, सड़क और गली अवसंरचना आते हैं;

(यङ) “सर्वव्यापी डिजाइन” से सभी लोगों द्वारा अनुकूलन या विशिष्ट डिजाइन की आवश्यकता के बिना अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किए जाने वाले उत्पादों, वातावरणों, कार्यक्रमों की डिजाइन और सेवाएं अभिप्रेत है और जो दिव्यांगजनों के विशिष्ट समूह के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित सहायक युक्तियों पर लागू होंगी।

अध्याय 2

अधिकार और हकदारियां

3. **समता और अविभेद**—(1) समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपभोग करे।

(2) समुचित सरकार, समुचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग करने के लिए उपाय करेगी।

(3) किसी दिव्यांगजन के साथ दिव्यांगता के आधार पर तब तक विभेद नहीं किया जाएगा जब तक कि यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि अक्षेपित कृत्य या लोप, विधिसंगत उद्देश्य को प्राप्त करने का आनुपातिक साधन है।

(4) कोई व्यक्ति केवल दिव्यांगता के आधार पर उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

(5) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए युक्तियुक्त आवासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

4. दिव्यांग महिला और बालक—(1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने का उपाय करेंगे कि दिव्यांग स्त्री और बालक अन्य लोगों की भांति समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग करें।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दिव्यांग बालकों को उनको प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने का किसी समान आधार पर अधिकार होगा और उनकी आयु और दिव्यांगता को दृष्टि में रखते हुए उनको समुचित सहायता प्रदान की जाएगी।

5. सामुदायिक जीवन—(1) दिव्यांग व्यक्ति को समुदाय में जीने का अधिकार होगा।

(2) समुचित सरकार यह प्रयास करेगी कि दिव्यांग व्यक्ति को,—

(क) किसी विशिष्ट जीवन व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य नहीं किया जाए; और

(ख) किसी ऐसे गृह, आवास की श्रेणी और अन्य समुदाय सहायता सेवाओं में, जिनमें आयु और लिंग पर सम्यक् ध्यान देते हुए, जीवन को सहारे के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सहायता सम्मिलित है, पहुंच प्रदान की गई है।

6. क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा—(1) समुचित सरकार, दिव्यांगजन को प्रताड़ना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के होने से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी।

(2) कोई दिव्यांगजन,—

(i) संसूचना की पहुंच योग्य पद्धतियों, साधनों और रूपविधानों के माध्यम से अभिप्राप्त उसकी स्वतंत्र और सूचित सम्मति के बिना; और

(ii) समुचित सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित रीति से गठित ऐसी दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए समिति की पूर्व अनुमति, जिसमें आधे से अन्यून सदस्य उसमें से या तो दिव्यांगजन या धारा 2 के खंड (यक) के अधीन यथावर्णित रजिस्ट्रीकृत संगठनों के सदस्य होंगे, के बिना,

किसी अनुसंधान की प्रयोग वस्तु नहीं होगा।

7. दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण—(1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों को दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी और उनको रोकने के लिए वह,—

(क) दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की घटनाओं का संज्ञान लेगी तथा ऐसी घटनाओं के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपचार उपलब्ध कराएगी;

(ख) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय करेगी और उनकी रिपोर्ट किए जाने के लिए प्रक्रिया विहित करेगी;

(ग) ऐसी घटनाओं के पीड़ितों का बचाव, संरक्षण और पुनर्वास करने के लिए उपाय करेगी; और

(घ) जागृति पैदा करेगी तथा जनता को सूचनाएं उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत संगठन, जिसके पास वह विश्वास करने का कारण है कि दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध हुआ है या उसके किए जाने की संभावना है तो वह ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी घटनाएं होती हैं, उनके बारे में सूचना दे सकेगा।

(3) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऐसा सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उसके होने को रोकने या उसको निवारित करने के लिए तुरंत उपाय करेगा या ऐसे दिव्यांगजन के संरक्षण के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत—

(क) यथास्थिति, पुलिस या दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रहे किसी संगठन को ऐसे व्यक्ति की, यथास्थिति, सुरक्षित अभिरक्षा या उनके पुनर्वास, या दोनों की, व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत करते हुए ऐसे कार्य से पीड़ित का बचाव करने;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी बांछा करे तो दिव्यांगजन के लिए संरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध कराने;

(ग) ऐसे दिव्यांगजनों को भरणपोषण उपलब्ध कराने,

संबंधी कोई आदेश भी है।

(4) कोई पुलिस अधिकारी, दिव्यांगजन के दुरुपयोग, हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है, तो, व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित की जानकारी देगा,—

(क) उपधारा (2) के अधीन संरक्षण के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की और सहायता प्रदान करने की अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की विशिष्टियों की;

(ख) दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे निकटतम संगठन या संस्था की विशिष्टियों की;

(ग) निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की; और

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या ऐसे अपराध से निपटने वाली किसी अन्य विधि के अधीन शिकायत फाइल करने के अधिकार की:

परंतु इस धारा की किसी बात का अर्थ किसी भी रीति में पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने पर सूचना की प्राप्ति पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के कर्तव्य से मुक्त करने के लिए नहीं लगाया जाएगा।

(5) यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि अभिकथित कृत्य या व्यवहार भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध गठित करता है तो वह इस प्रभाव की शिकायत को, उस विषय में अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, न्यायिक या महानगर मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।

8. संरक्षण और सुरक्षा—(1) दिव्यांगजनों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की दशाओं में समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी।

(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने आपदा प्रबंधन कार्यकलाप, जैसा कि आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 2 के खंड (ड) के अधीन परिभाषित है, में दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेंगे।

(3) आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले में दिव्यांगजनों के व्यौरों का अभिलेख रखेगा और ऐसे व्यक्तियों को जोखिम की किन्हीं स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय करेगा जिससे आपदा तैयारियों को बढ़ाया जा सके।

(4) जोखिम, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों के पश्चात् पुनः निर्माण कार्यकलापों में लगे हुए प्राधिकरण दिव्यांगजनों की पहुंच अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित राज्य आयुक्त के परामर्श से ऐसे कार्यकलापों का जिम्मा लेंगे।

9. गृह और कुटुंब—(1) किसी दिव्यांग बालक को दिव्यांगता के आधार पर, सिवाय किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, यदि बालक के सर्वोत्तम हित में अपेक्षित हो, उसके अभिभावकों से पृथक् नहीं किया जाएगा।

(2) जहां अभिभावक दिव्यांग बालक की देखभाल करने में असमर्थ हैं, तो सक्षम न्यायालय ऐसे बालक को उसके नजदीकी नातेदारों के पास रखेगा और ऐसा न हो पाने पर कौटुम्बिक परिवेश में, समुदाय में या आपवादिक दशाओं में, यथापेक्षित, समुचित सरकार या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आश्रय स्थलों में रखेगा।

10. प्रजनन अधिकार—(1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में समुचित जानकारी तक पहुंच हो।

(2) किसी दिव्यांगजन को ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया के अधीन नहीं किया जाएगा जिसका परिणाम उसकी संसूचित सहमति के बिना बांझपन होता है।

11. मतदान में पहुंच—भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केन्द्र दिव्यांगजनों की पहुंच में हों और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समझने योग्य और उनकी पहुंच में हो।

12. न्याय तक पहुंच—(1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगता के आधार पर विभेद के बिना किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या कोई अन्य न्यायिक या अर्धन्यायिक या अन्वेषण शक्तियां रखने वाले निकाय तक दिव्यांगजन अपनी पहुंच के अधिकार का प्रयोग करने के लिए समर्थ हों।

(2) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए विशेषतया जो कुटुंब से बाहर रहते हैं और ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें विधिक अधिकारों के प्रयोग के लिए अधिक सहायता की अपेक्षा है, समुचित सहायता उपायों को करने के लिए कदम उठाएगी।

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांगजन की अन्य व्यक्तियों के समान ही प्रस्तावित किसी स्कीम, कार्यक्रम, सुविधा या सेवा तक पहुंच हो, जिसके अन्तर्गत युक्तियुक्त आवासन भी है, उपबंध करेंगे।

(4) समुचित सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी—

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि उनके सभी लोक दस्तावेज सुगम रूप विधान में हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि फाइल करने वाले विभागों, रजिस्ट्री या किसी अन्य अभिलेख कार्यालय में, सुगम रूप विधान में, दस्तावेजों और साक्ष्य को फाइल करने, भंडार में रखने और निर्दिष्ट करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक उपस्कर की पूर्ति कर दी गई है; और

(ग) दिव्यांगजनों द्वारा उनकी अधिमानी भाषा और उनकी संसूचना के माध्यमों में दिए गए परिसाक्ष्य, बहस या मत के अभिलेखीकरण को सुकर बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और उपस्कर उपलब्ध कराएगी।

13. विधिक सामर्थ्य—(1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान रूप से स्थावर या जंगम संपत्ति का स्वामित्व या विरासत, उनके वित्तीय मामलों के नियंत्रण का अधिकार रखेंगे और बैंक ऋण, बंधक और वित्तीय प्रत्यय के अन्य रूपों तक पहुंच रखेंगे।

(2) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन, जीवन के सभी पहलुओं में अन्य व्यक्तियों के समान आधार पर विधिक सामर्थ्य का उपभोग करे और विधि के समक्ष अन्य व्यक्तियों के रूप में समान मान्यता का अधिकार रखें।

(3) जब सहायता प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति और किसी दिव्यांगजन के मध्य विशिष्टतया वित्तीय, सांपत्तिक या किसी अन्य आर्थिक संव्यवहार को लेकर हितों का कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसी सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उक्त संव्यवहार में दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने से प्रविरत रहेगा:

परंतु हितों के विरोध की कोई उपधारणा इस आधार पर ही नहीं होगी कि सहायता देने वाला व्यक्ति, दिव्यांगजन का रक्त, विवाह संबंध या दत्तक ग्रहण से नातेदार है।

(4) कोई दिव्यांगजन किसी सहायता संबंधी ठहराव को परिवर्तित, उपांतरित या समाप्त कर सकेगा और किसी दूसरे की सहायता प्राप्त कर सकेगा:

परंतु ऐसा परिवर्तन, उपांतरण या समाप्ति भविष्यलक्षी प्रकृति की होगी और उपर्युक्त सहायता संबंधी ठहराव में दिव्यांगजन द्वारा किए गए किसी तीसरे पक्षकार के संव्यवहार को अकृत नहीं करेंगे।

(5) दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति असम्यक् असर का प्रयोग नहीं करेगा और उसकी स्वायत्तता, गरिमा और निजता का सम्मान करेगा।

14. संरक्षता के लिए उपबंध—(1) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई जिला न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अभिहित प्राधिकारी पाता है कि कोई दिव्यांगजन जिसे पर्याप्त और समुचित सहायता प्रदान की गई थी किंतु वह विधिक रूप से आवद्धकर विनिश्चयों को लेने में असमर्थ है तो ऐसे व्यक्ति के परामर्श से ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, उसकी ओर से विधिक रूप से आवद्धकर विनिश्चय लेने के लिए सीमित संरक्षक की और सहायता प्रदान की जा सकेगी:

परंतु, यथास्थिति, जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकारी ऐसी सहायता की अपेक्षा रखने वाले दिव्यांगजन के लिए पूर्ण सहायता प्रदान कर सकेंगे या जहां सीमित संरक्षकता बार-बार प्रदान की जानी है उस दशा में दी जाने वाली सहायता की प्रकृति और रीति का अवधारण करने के लिए दी जाने वाली सहायता की बाबत विनिश्चय का, यथास्थिति, न्यायालय या अभिहित प्राधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए “ सीमित संरक्षकता” से संयुक्त विनिश्चय की एक प्रणाली अभिप्रेत है जो संरक्षक और दिव्यांगजन के मध्य पारस्परिक समझदारी और भरोसे पर प्रचालित है जो विनिर्दिष्ट अवधि और विनिर्दिष्ट विनिश्चय तथा स्थिति तक सीमित होगी और दिव्यांगजन की इच्छानुसार कार्य करेगी।

(2) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही दिव्यांगजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध के अधीन नियुक्त प्रत्येक संरक्षक को, सीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए समझा जाएगा।

(3) किसी विधिक संरक्षक की नियुक्ति करने के, अभिहित प्राधिकारी के विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई दिव्यांगजन ऐसे अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जिसे इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

15. सहायता के लिए प्राधिकारियों के पदाभिधान—(1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के विधिक सामर्थ्य के प्रयोग करने में उनकी सहायता करने के लिए समुदाय को गतिशील करने और सामाजिक जागरुकता सृजित करने के लिए एक या अधिक प्राधिकारियों को अभिहित करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी संस्थान में रहने वाले और जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है दिव्यांगजनों द्वारा विधिक सामर्थ्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त सहायता संबंधी ठहरावों की स्थापना करने के लिए उपाय करेगा और कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हो, करेगा।

अध्याय 3

शिक्षा

16. शिक्षण संस्थानों का कर्तव्य—समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्तपोषित या मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेंगी, —

(i) उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के समान खेल और आमोद-प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना;

(ii) भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच बनाना;

(iii) व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार युक्तियुक्त वास सुविधा प्रदान करना;

(iv) ऐसे वातावरण में, जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के संगत शैक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, व्यक्तिपरक या अन्यथा आवश्यकता सहायता प्रदान करना;

(v) यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्ति को, जो अंधा या बधिर या दोनों हैं, संसूचना की समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना;

(vi) बालकों में विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं का शीघ्रतम पता लगाना और उन पर काबू पाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना;

(vii) प्रत्येक दिव्यांग छात्र के संबंध में शिक्षा के प्राप्ति स्तरों और पूर्णता के रूप में उसकी भागीदारी, प्रगति को मानीटर करना;

(viii) दिव्यांग बालकों और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बालकों के परिचर के लिए भी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना।

17. सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय—समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 16 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे, अर्थात्:—

(क) दिव्यांग बालकों की पहचान करने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं को अभिनिश्चित करने और उस परिमाण के संबंध में जहां तक उन्हें वह पूरा कर लिया गया है, स्कूल जाने वाले बालकों के लिए हर पांच वर्ष में सर्वेक्षण करना:

परन्तु पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा;

(ख) पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना;

(ग) शिक्षकों को, जिसके अंतर्गत दिव्यांग अध्यापक भी हैं जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हित हैं और ऐसे शिक्षकों को भी, जो बौद्धिक रूप में दिव्यांग बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षित और नियोजित करना;

(घ) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सम्मिलित शिक्षा में सहायता करने के लिए वृत्तिकों और कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षित करना;

(ङ) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं की सहायता के लिए संसाधन केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना;

(च) वाक्शक्ति, संप्रेषण या भाषा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी की स्वयं की वाक्शक्ति के उपयोग की अनुपूर्ति के लिए संप्रेषण, ब्रेल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूपविधानों सहित समुचित संवर्धी और अनुकल्पी पद्धतियों के प्रयोग का संवर्धन करना;

(छ) संदर्भित दिव्यांग छात्रों को अठारह वर्ष की आयु तक पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां निः शुल्क उपलब्ध कराना;

(ज) संदर्भित दिव्यांग छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना;

(झ) दिव्यांग छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त उपांतरण करना जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या लेखक की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट;

(ञ) विद्या में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना; और

(ट) कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हों।

18. प्रौढ शिक्षा—समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ शिक्षा में दिव्यांगजनों की भागीदारी को संवर्धित, संरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए और अन्य व्यक्तियों के समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के लिए उपाय करेंगे।

अध्याय 4

कौशल विकास और नियोजन

19. व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन—(1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी है, स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीमों और कार्यक्रमों में निम्नलिखित उपबंध होंगे—

(क) सभी मुख्य धारा के औपचारिक और गैर-औपचारिक वृत्तिक और कौशल प्रशिक्षण स्कीम और कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि किसी दिव्यांगजन को विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सहायता और सुविधाएं प्राप्त हैं;

(ग) ऐसे दिव्यांगजनों के लिए जो विकासात्मक, बौद्धिक, बहुविध दिव्यांगता स्वपरायणता वाले हैं, अनन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना, जिनका प्रभावी संयोजन बाजार के साथ हो;

(घ) रियायती दर पर ऋण, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उधार भी है;

(ङ) दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन; और

(च) कौशल प्रशिक्षण और स्वनियोजन में की गई प्रगति पर असंकलित डाटा बनाए रखना जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन भी हैं।

20. नियोजन में विभेद न करना—(1) कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा :

परंतु समुचित सरकार किसी स्थापन में किए जाने वाले कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए यदि कोई हों, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) प्रत्येक स्थापन दिव्यांग कर्मचारियों को युक्तियुक्त आवासन और समुचित अवरोध मुक्त तथा सहायक वातावरण उपलब्ध कराएगा।

(3) केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से इंकार नहीं किया जाएगा।

(4) कोई सरकारी स्थापन, किसी ऐसे कर्मचारी को, जो अपनी सेवा के दौरान कोई दिव्यांगता ग्रहण करता है, उसे अभिमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा:

परंतु यदि कोई कर्मचारी, दिव्यांगता ग्रहण करने के पश्चात् उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसे वह धारित करता है तो उसे समान वेतमान और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो पूर्ववर्ती हो, किसी अधिसंख्या पद पर रखा जा सकेगा।

(5) समुचित सरकार दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती और स्थानान्तरण के लिए नीति बना सकेगी।

21. समान अवसर नीति—(1) प्रत्येक स्थापन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित समान अवसर नीति से संबंधित उपायों को ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अधिसूचित करेगा।

(2) प्रत्येक स्थापन, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के पास उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा।

22. अभिलेखों का रखा जाना—(1) प्रत्येक स्थापन, इस अध्याय के उपबंधों के अनुपालन में उपलब्ध कराए गए नियोजन, सुविधाओं के मामलों के संबंध में दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा और अन्य आवश्यक जानकारी ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रखेगा।

(2) प्रत्येक रोजगार कार्यालय रोजगार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन रखे गए अभिलेख, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो समुचित सरकार द्वारा उनके निमित्त प्राधिकृत किए जाएं सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

23. शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति—(1) प्रत्येक सरकारी स्थापन, धारा 19 के प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेगा और, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचना देगा।

(2) धारा 20 के उपबंधों के अननुपालन से व्यथित कोई व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायत फाइल कर सकेगा जो उसका अन्वेषण करेगा और सुधार कार्रवाई के लिए स्थापन से मामले को विचार में लेगा।

(3) शिकायत प्रतितोष अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, और प्रत्येक शिकायत की, इसके रजिस्ट्रीकरण के दो सप्ताह के भीतर जांच की जाएगी।

(4) यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो वह जिला स्तर दिव्यांगता समिति के पास जा सकेगा या सकेगा।

अध्याय 5

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद-प्रमोद

24. सामाजिक सुरक्षा—(1) समुचित सरकार, उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर उनके स्वतंत्र रूप से या समुदाय में रहने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक स्कीमों और कार्यक्रम बनाएगी:

परंतु ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों के अधीन दिव्यांगजनों को सहायता का परिमाण अन्य व्यक्तियों के लिए लागू उन्हीं स्कीमों से कम से कम पच्चीस प्रतिशत अधिक होगा।

(2) समुचित सरकार, इन स्कीमों और कार्यक्रमों को बनाने के समय दिव्यांगता, लिंग, आयु और सामाजिक-आर्थिक प्रास्थिति की विविधता पर सम्यक् विचार करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन स्कीमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध होंगे,—

(क) सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देख-देख और परामर्श के रूप में अच्छी जीवन परिस्थितियों सहित सामुदायिक केन्द्र;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके अंतर्गत दिव्यांग बालक भी हैं, जिनका कुटुंब नहीं है या जो परित्यक्त या बिना आश्रम या जीवन निर्वाह के हैं, सुविधाएं;

(ग) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान और संघर्ष के क्षेत्र में सहायता;

(घ) दिव्यांग महिलाओं के जीवन निर्वाह के लिए और उनके बालकों के पालन-पोषण के लिए सहायता;

(ङ) सुरक्षित पेय जल और समुचित तथा पहुंच में स्वच्छता सुविधाएं विशेषतया नगरीय गंदी-बस्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच;

(च) ऐसी आय की सीमा, जो अधिसूचित की जाए, के साथ दिव्यांग को निःशुल्क सहायता और साधित्र, ओषधियां और नैदानिक सेवाएं तथा सुधारात्मक शल्य-चिकित्सा उपलब्ध कराना;

(छ) ऐसी आय की सीमा, जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता पेंशन;

(ज) दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विशेष रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता, जिन्हें लाभपूर्ण व्यवसाय में नहीं रखा जा सका था;

(झ) उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए देख-देख प्रदाता भत्ता;

(ञ) ऐसे दरिद्र दिव्यांगजनों के लिए व्यापक बीमा स्कीम जो राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम या किसी अन्य कानूनी या सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं;

(ट) कोई अन्य विषय जिसे समुचित सरकार ठीक समझे।

25. स्वास्थ्य देख-रेख—(1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी दिव्यांगजनों को निम्नलिखित उपलब्ध कराने के लिए उपाय करेगी,—

(क) ऐसी कुटुंब आय, जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए, आसपास विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य देख-देख;

(ख) सरकार के सभी भागों और निजी अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं और केन्द्रों में बाधा रहित पहुंच;

(ग) परिचर्या और उपचार में पूर्विकता।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी स्वास्थ्य देख-देख की अभिवृद्धि और दिव्यांगता की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करेंगे और स्कीम या कार्यक्रम बनाएंगे और उक्त प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित करेंगे,—

- (क) दिव्यांगता की घटनाओं के कारणों से संबंधित सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करना या कराना;
- (ख) दिव्यांगता को रोकने के लिए विभिन्न पद्धतियों को प्रोन्नत करना;
- (ग) “जोखिम के” मामलों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार सभी बालकों की जांच करना;
- (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना;
- (ङ) जागरूकता अभियान प्रायोजित करना या कराना और साधारण आरोग्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए जानकारी का प्रसार करना या कराना;
- (च) माता और बालक की प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात् देख-देख के लिए उपाय करना;
- (छ) पूर्वस्कूल, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं और आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करना;
- (ज) दिव्यांगता के कारणों और अंगीकृत किए जाने वाले निरोधात्मक उपायों को टेलीविजन, रेडियो और अन्य जन संचार साधनों के माध्यम से जनता के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना;
- (झ) प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिम की स्थितियों के समय के दौरान स्वास्थ्य देख-रेख;
- (ञ) जीवनरक्षक आपात उपचार और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं; और
- (ट) विशेषतया दिव्यांग स्त्रियों के लिए लैंगिक और प्रजनक स्वास्थ्य देख-रेख ।

26. बीमा स्कीमें—समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बीमा स्कीमें बनाएगी ।

27. पुनर्वास—(1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सभी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्टतया स्वास्थ्य, शिक्षा और नियोजन के क्षेत्रों में उनकी आर्थिक क्षमता और विकास के भीतर सेवाओं और पुनर्वास के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी लेंगे या जिम्मेदारी दिलाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेंगे ।

(3) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, पुनर्वास स्कीम पुनर्वास नीतियों की विरचना के समय दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करेंगे ।

28. अनुसंधान और विकास—समुचित सरकार ऐसे मुद्दों पर व्यष्टियों या संस्थाओं के माध्यम से जिनसे आवास और पुनर्वास और ऐसे अन्य मुद्दे जो दिव्यांगजनों के लाभ के लिए आवश्यक समझे जाएं, के माध्यम से अनुसंधान और विकास आरंभ करेगी या कराएगी ।

29. संस्कृति और आमोद-प्रमोद—समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, सभी दिव्यांगजनों के अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण और अन्य व्यक्तियों के समान आमोद-प्रमोद गतिविधियों में भागीदारी के उपाय करेंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

- (क) दिव्यांग कलाकारों और लेखकों को उनकी अभिरुचि और प्रतिभा को बढ़ाने के लिए सुविधा, सहायता और प्रयोजन;
- (ख) दिव्यांगता इतिहास संग्रहालय की स्थापना जो दिव्यांगजनों के ऐतिहासिक अनुभवों को लिपिबद्ध और उनका निर्वचन करते हैं;
- (ग) दिव्यांगजनों तक कला को सुगम बनाना;
- (घ) आमोद-प्रमोद केन्द्रों और अन्य सामाजिक गतिविधियों का संवर्धन करना;
- (ङ) बालचर, नृत्य, कला कक्षाएं, बाहरी कैंप और रोमांचक गतिविधियों में भागीदारी को सुकर बनाना;
- (च) दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए सांस्कृतिक और कला विषयों के पाठ्यक्रमों को पुनः डिजाइन करना;
- (छ) आमोद-प्रमोद गतिविधियों में दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और उनको सम्मिलित करने को सुकर बनाने के लिए तकनीकी सहायक युक्तियां और उपस्करों का विकास करना; और
- (ज) सुनिश्चित करना कि श्रवणशक्ति के ह्रास के व्यक्ति सांकेतिक भाषांतरण या उपशीर्षक सहित टेलीविजन कार्यक्रमों तक पहुंच कर सकें ।

30. खेलकूद गतिविधियाँ—(1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों की खेलकूद गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी।

(2) खेलकूद प्राधिकारी खेलकूदों में भागीदारी के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों को सम्यक् मान्यता देंगे और उनकी खेलकूद प्रतिभा के संवर्धन और विकास के लिए अपनी स्कीमों और कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने के लिए सम्यक् उपबंध करेंगे।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकार और खेल प्राधिकारी निम्नलिखित उपाय करेंगे, —

(क) सभी खेलकूद गतिविधियों में दिव्यांगजनों की पहुंच, समावेशन और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की पुनर्संरचना;

(ख) दिव्यांगजनों के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों और अवसरनात्मक सुविधाओं का पुनः डिजाइन और उसमें सहायता;

(ग) सभी दिव्यांगजनों के लिए अंतःशक्ति, प्रतिभा और योग्यता सामर्थ्य और योग्यता बढ़ाने के लिए तकनीक का विकास;

(घ) सभी दिव्यांगजनों के लिए प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों में बहुसंवेदी आवश्यकताएं और विशेषताएं प्रदान करना;

(ङ) दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक खेलकूद सुविधाओं के विकास के लिए निधियों का आबंटन करना;

(च) दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता विनिर्दिष्ट खेलकूद आयोजनों को संवर्धित करना और आयोजित करना तथा ऐसी खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं और अन्य भागीदारों को भी पुरस्कार देने को सुकर बनाना।

अध्याय 6

संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध

31. संदर्भित दिव्यांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा—(1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छह वर्ष से अठारह वर्ष तक के संदर्भित प्रत्येक दिव्यांग बालक का निकटवर्ती विद्यालय या उसकी पसंद के किसी विशेष विद्यालय में निः शुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित प्रत्येक दिव्यांग बालक को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निः शुल्क शिक्षा की पहुंच हो।

32. उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण—(1) उच्च शिक्षा की सभी सरकारी संस्थाएं और सरकार से सहायता प्राप्त कर रही अन्य शिक्षा संस्थाएं संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कम पांच प्रतिशत स्थानों को आरक्षित रखेंगी।

(2) उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक शिथिलता दी जाएगी।

33. आरक्षण के लिए पदों की पहचान—समुचित सरकार,—

(i) स्थापन में ऐसे पदों की पहचान करेगी जिन्हें धारा 34 के उपबंधों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों की बाबत संदर्भित दिव्यांगजनों से संबंधित प्रवर्ग के व्यक्तियों द्वारा धारण किया जा सकता है;

(ii) ऐसे पदों की पहचान करने के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व के साथ विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी;

(iii) पहचाले गए पदों का तीन वर्ष से अनधिक अंतराल पर आवधिक पुनर्विलोकन करेगी।

34. आरक्षण—(1) प्रत्येक समुचित सरकार, प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्ति के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों द्वारा भरे जाने के लिए आशयित पदों के प्रत्येक समूह से प्रवर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या का चार प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित करेगी, —

(क) अंध और निम्न दृष्टि;

(ख) बधिर और श्रवणशक्ति में हास;

(ग) चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता;

(ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी है:

परंतु यह कि प्रोन्नति में आरक्षण ऐसे अनुदेशों के अनुसार होगा जो समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं:

परंतु यह और कि समुचित सरकार, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के परामर्श से किसी सरकारी स्थापन में कार्य करने के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी सरकारी स्थापन को इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) जहां कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन की गैर-उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्ति भर्ती वर्ष में अग्रणीत होगी और यदि पश्चात्पूर्ति भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो पहले यह पांच प्रवर्गों में से अदला-बदली द्वारा हो सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में भी पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोजक किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भर सकेगा:

परंतु यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि दिए गए प्रवर्गों के व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जा सकता तो रिक्तियों की समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच प्रवर्गों में अदला-बदली की जा सकेगी।

(3) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा संदर्भित दिव्यांगजनों के नियोजन के लिए ऊपरी आयु सीमा में ऐसा शिथिलीकरण प्रदान कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे।

35. प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन—समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके कार्यबल में कम से कम पांच प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजन प्राइवेट सेक्टरों में नियोजक को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

36. विशेष रोजगार कार्यालय—समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसी तारीख से, प्रत्येक स्थापन में नियोजक, दिव्यांगजनों के लिए नियत ऐसी रिक्तियों के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं जो उस स्थापन में हुई हैं या होने वाली हैं, ऐसे विशेष रोजगार कार्यालय को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी जानकारी या विवरणी भेजेगी और स्थापन उस पर ऐसी अध्यक्षता का पालन करेगा।

37. विशेष स्कीमें और विकास कार्यक्रम—समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा संदर्भित दिव्यांगजन के पक्ष में निम्नलिखित उपबंध करने के लिए स्कीमें बनाएंगे—

(क) संदर्भित दिव्यांग स्त्रियों की समुचित पूर्विकता के साथ सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में, कृषि भूमि और आवासन के आबंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण;

(ख) संदर्भित दिव्यांग स्त्रियों की पूर्विकता के साथ सभी निर्धनता उपशमन और विभिन्न विकासशील स्कीमों में पांच प्रतिशत आरक्षण;

(ग) रियायती दर पर भूमि के आबंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण जहां ऐसी भूमि का उपयोग, आवासन, आश्रय, उपजीविका के गठन, कारबार, उद्यम, आमोद-प्रमोद केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों के संवर्धन के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

अध्याय 7

उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध

38. उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध—(1) संदर्भित कोई दिव्यांगजन जो स्वयं उच्च सहायता की आवश्यकता समझता है या उसकी ओर से कोई व्यक्ति या संगठन, अधिक सहायता प्रदान प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध करते हुए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित होने वाले प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकारी, इसे ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्धारित बोर्ड को भेजेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(3) निर्धारण बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन इसे निर्दिष्ट किए गए मामले का ऐसी रीति में निर्धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और अधिक सहायता की आवश्यकता और इसकी प्रकृति को प्रमाणित करके, अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर प्राधिकारी, रिपोर्ट के अनुसार और इस निमित्त समुचित सरकार की सुसंगत स्कीमों और आदेशों के अधीन सहायता प्रदान करने के लिए उपाय करेगा।

अध्याय 8

समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

39. जागरूकता अभियान—(1) समुचित सरकार, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त से परामर्श करके इस अधिनियम के अधीन दिव्यांगजनों को दिए गए अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियानों और सुग्राह्यता कार्यक्रमों का संचालन, प्रोत्साहन, उसमें सहायता या संवर्धन करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसे कार्यक्रमों और अभियानों में निम्नलिखित भी किया जाएगा,—

(क) समावेशन, सहनशीलता, समानुभूति के मूल्यों का संवर्धन और विविधता के लिए आदर,

(ख) दिव्यांगजनों के कौशल, गुणों और योग्यताओं की अग्रिम पहचान और कार्यबल, श्रम बाजार में उनका योगदान और वृत्तिक फीस;

(ग) पारिवारिक जीवन, नातेदारियों, बालकों के वहन और पालन-पोषण से संबंधित सभी विषयों पर दिव्यांगजनों द्वारा किए गए विनिश्चयों के लिए आदर का पोषण;

(घ) दिव्यांगता की मानवीय दशा पर विद्यालय, महाविद्यालय विद्यालय और वृत्तिक प्रशिक्षण स्तर तथा दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसंस्करण करना और सुग्राही बनाना;

(ङ) दिव्यांगता की दशाओं और नियोजकों, प्रशासकों और सहकर्मियों के प्रति दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसंस्करण और सुग्राह्यता प्रदान करना;

(च) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूलों के पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों के अधिकार सम्मिलित हैं।

40. पहुंच—केन्द्रीय सरकार, मुख्य आयुक्त के परामर्श से समुचित प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की गई सुविधाओं और सेवाओं सहित भौतिक वातावरण, परिवहन, जानकारी और संसूचना के लिए पहुंच के मानकों को अधिकथित करते हुए दिव्यांगजनों के लिए विनियम विरचित करेगा।

41. परिवहन तक पहुंच—(1) समुचित सरकार, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी,—

(क) बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर दिव्यांगजनों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो पार्किंग स्थलों, प्रसाधनों, टिकट खिड़कियों और टिकट मशीनों से संबंधित पहुंच मानकों के अनुरूप हों;

(ख) परिवहन के सभी ढंगों तक पहुंच प्रदान करना जो परिवहन के पश्च फिटिंग पुराने ढंगों सहित डिजाइन मानकों के अनुरूप हों, जहां कभी वे दिव्यांगजनों के लिए प्रौद्योगिक रूप से संभाव्य और सुरक्षित हों, आर्थिक रूप में व्यवहार्य हों और डिजाइन में मुख्य संरचना के परिवर्तन में भार डाले बिना हों;

(ग) दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक गतिशीलता के समाधान के लिए पहुंच योग्य सड़कें।

(2) समुचित सरकार, निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के लिए वहन करने योग्य लागत पर दिव्यांगजनों की वैयक्तिक गतिशीलता के संवर्धन के लिए स्कीमों, कार्यक्रमों को विकसित करेगी—

(क) प्रोत्साहन और रियायतें;

(ख) वाहनों की पश्च फिटिंग, और

(ग) वैयक्तिक गतिशीलता सहायता।

42. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच—समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि,—

(i) श्रव्य, प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में उपलब्ध सभी अंतर्वस्तुएं पहुंच योग्य फॉर्मेट में हैं;

(ii) श्रव्य वर्णन, संकेत भाषा निर्वाचन और क्लोज्ड कैपशनिंग, उपलब्ध कराके दिव्यांगजन की इलैक्ट्रानिक मीडिया तक पहुंच है;

(iii) इलैक्ट्रानिक माल और उपस्कर जो प्रतिदिन उपयोग के लिए सर्वव्यापी डिजाइन में उपलब्ध कराए जाने के लिए आशयित हैं।

43. उपभोक्ता माल—समुचित सरकार दिव्यांगजनों के साधारण उपयोग के लिए सर्वव्यापी रूप से डिजाइन किए गए उपभोक्ता उत्पादों और उपसाधनों के विकास, उत्पादन और वितरण के संवर्धन के लिए उपाय करेगी।

44. पहुंच सन्धियों का आज्ञापक रूप से अनुपालन—(1) किसी स्थापन को किसी संरचना के निर्माण की मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि भवन योजना में धारा 40 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन नहीं किया जाता है।

(2) किसी स्थापन को तब तक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा या भवन का अधिभोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक वह केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन नहीं करता है।

45. विद्यमान अवसंरचना और सुगम्य परिसर बनाने के लिए समय-सीमा तथा उस प्रयोजन के लिए कार्रवाई—(1) ऐसे विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार सभी विद्यमान सार्वजनिक भवन सुगम्य बनाए जाएंगे:

परन्तु केन्द्रीय सरकार राज्यों को इस उपबंध के पालन के लिए मामला दर मामला आधार पर उनकी तैयारी की अवस्था और अन्य संबंधित पैमानों पर निर्भर रहते हुए समय का विस्तार मंजूर कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी उनके सभी भवनों और स्थानों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल/जिला अस्पताल, विद्यालय, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा जैसी सभी तक, पहुंच प्रदान करने के लिए पूर्विक्ता पर आधारित कार्ययोजना बनाएंगे और प्रकाशित करेंगे।

46. सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुंच के लिए समय-सीमा—सेवा प्रदाता चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 40 के अधीन पहुंच पर बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे नियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर सेवाएं प्रदान करेगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से उक्त नियमों के अनुसार कतिपय प्रवर्ग की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय का विस्तार मंजूर कर सकेगी।

47. मानव संसाधन विकास—(1) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 का 34) के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद् के किसी कृत्य और शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मानव संसाधन का विकास करने के लिए प्रयास करेगी और उस ध्येय के लिए निम्नलिखित करेगी—

(क) पंचायती राज सदस्यों, विधायकों, प्रशासकों, पुलिस पदधारियों, न्यायाधीशों, वकीलों के प्रशिक्षण के लिए सभी पाठ्यक्रमों में दिव्यांगता के अधिकारों पर आज्ञापक प्रशिक्षण;

(ख) विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों, चिकित्सकों, नर्सों, अर्धचिकित्सा कार्मिकों, सामाजिक कल्याण अधिकारियों, ग्रामीण विकास अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, इंजीनियरों, वास्तुविदों, अन्य वृत्तिकों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए सभी शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए दिव्यांगता का घटक के रूप में समावेश कराना;

(ग) स्वावलम्बी जीवन में प्रशिक्षण और परिवारों के लिए सामुदायिक संबंधों, समुदाय के सदस्यों और अन्य पणधारियों और देख-रेख करने और सहायता करने पर देख-रेख प्रदाता सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ करना;

(घ) पारस्परिक योगदान और आदर पर समुदाय संबंधों का निर्माण करने के लिए दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र प्रशिक्षण सुनिश्चित करना;

(ङ) क्रीडा, खेलकूद, रोमांचकारी गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ क्रीडा अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना;

(च) कोई अन्य क्षमता विकास के उपाय, जो आवश्यक हों।

(2) सभी विश्वविद्यालय ऐसे अध्ययनों के लिए अध्ययन केन्द्रों की स्थापना सहित दिव्यांगता संबंधी अध्ययनों में शिक्षण और अनुसंधान का संवर्धन करेंगे।

(3) उपधारा (1) में कथित बाध्यता को पूरा करने के लिए, समुचित सरकार, प्रत्येक पांच वर्ष में आवश्यकता आधारित विश्लेषण करेगी और भर्ती, प्रवेश, सुग्राह्यता अभिसंस्करण और इस अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए उपयुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए योजनाएं बनाएगी।

48. सामाजिक लेखा परीक्षा—समुचित सरकार दिव्यांगजनों वाली सभी साधारण स्कीमों और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि स्कीम और कार्यक्रम दिव्यांगजनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं और दिव्यांगजनों की अपेक्षाओं और चिंताओं के लिए आवश्यक हैं।

अध्याय 9

दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान

49. सक्षम प्राधिकारी—राज्य सरकार, ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त करेगी जो वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के लिए ठीक समझे।

50. रजिस्ट्रीकरण—इस अधिनियम के अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति दिव्यांगजनों के लिए किसी संस्था की स्थापना या उसका अनुरक्षण इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं:

परंतु मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों की देख-रेख के लिए कोई संस्था जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 8 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारित करती है, उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

51. आवेदन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी—(1) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, वह आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिन की अवधि के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र मंजूर करेगा और यदि उसका समाधान नहीं होता है तो सक्षम प्राधिकारी, आदेश द्वारा आवेदन किए गए प्रमाणपत्र को मंजूर करने से इंकार कर देगा:

परंतु सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकार करने वाला कोई आदेश करने से पूर्व आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा और प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकारी का प्रत्येक आदेश आवेदक को लिखित में संसूचित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक संस्था जिसके बारे में आवेदन किया गया है, ऐसी सुविधाएं प्रदान करने और ऐसे मानक जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, को पूरा करने की स्थिति में न हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र—

(क) जब तक धारा 52 के अधीन प्रतिसंहत नहीं होता ऐसी अवधि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रवृत्त बना रहेगा;

(ख) वैसी ही अवधि के लिए समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा; और

(ग) ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए कोई आवेदन विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के कम से साठ दिन पूर्व किया जाएगा।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति, संस्था द्वारा सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

(7) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटारा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

52. रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण—(1) सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका विश्वास करने का यह कारण है कि धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के धारक ने—

(क) प्रमाणपत्र के जारी करने या नवीकरण के लिए किसी आवेदन के संबंध में ऐसा कथन किया है जो गलत है या तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है; और

(ख) नियमों या किन्हीं ऐसी शर्तों को भंग किया है या भंग करवाया है जिसके अधीन प्रमाणपत्र मंजूर किया गया था,

वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, आदेश द्वारा प्रमाणपत्र को प्रतिसंहत कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रमाणपत्र के धारक को इस बात का कारण बताने का अवसर न प्रदान कर दिया हो कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रतिसंहत क्यों न कर दिया जाए।

(2) जहां किसी संस्था के संबंध में उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण किया गया है वहां ऐसी संस्था, ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख से कार्य करना बन्द कर देगी:

परन्तु जहां प्रतिसंहरण आदेश के विरुद्ध धारा 53 के अधीन कोई अपील होती है, वहां ऐसी संस्था निम्नलिखित दशाओं में कार्य करना बन्द कर देगी,—

(क) जहां ऐसी अपील फाइल करने के लिए विहित अवधि के अवसान पर तुरंत अपील नहीं की गई है; या

(ख) जहां ऐसी कोई अपील की गई है, किन्तु अपील के आदेश की तारीख से प्रतिसंहरण आदेश को मान्य ठहराया गया है।

(3) किसी संस्था की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण पर, सक्षम प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि कोई दिव्यांगजन जो ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख को, ऐसी संस्था में अन्तःवासी है,—

(क) यथास्थिति, उसे उसके माता-पिता, पति या पत्नी या विधिक संरक्षक की अभिरक्षा में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा, या

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य संस्था को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(4) प्रत्येक संस्था, जो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र धारण करता है जिसका इस धारा के अधीन प्रतिसंहरण कर लिया गया है, ऐसे प्रतिसंहरण के तुरंत पश्चात् ऐसे प्रमाणपत्र को सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर देगी।

53. अपील—(1) प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार करने या प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण करने के सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा यथाविहित अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसे अपील प्राधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाए, अपील कर सकेगा।

(2) ऐसी अपील पर अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

54. अधिनियम का केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित संस्थाओं को लागू न होगा—इस अध्याय में अंतर्विष्ट कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए स्थापित या अनुरक्षित किसी संस्था को लागू नहीं होगी।

55. रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को सहायता—समुचित सरकार उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को, सेवा प्रदान करने के लिए और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में स्कीमों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी।

अध्याय 10

विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रमाणन

56. विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत—केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सीमा का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिसूचित करेगी।

57. प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के पदाभिधान—(1) समुचित सरकार अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के रूप में पदाभिहित करेगी, जो दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समक्ष होंगे।

(2) समुचित सरकार उस अधिकारिता को और उन निबंधनों और शर्तों को भी अधिसूचित करेगी जिनके अधीन रहते हुए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपने प्रमाणकारी कृत्यों का पालन करेगा।

58. प्रमाणन की प्रक्रिया—(1) कोई विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन अधिकारिता रखने वाले प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, दिव्यांगता का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, धारा 56 के अधीन अधिसूचित सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संबंधित व्यक्ति की दिव्यांगता का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के पश्चात्, यथास्थिति,—

(क) ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, दिव्यांगता का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा;

(ख) उसे लिखित में सूचित करेगा कि उसको कोई विनिर्दिष्ट दिव्यांगता नहीं है।

(3) इस धारा के अधीन जारी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र संपूर्ण देश में मान्य होगा।

59. प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील—(1) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा पदाभिहित अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(2) किसी अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी अपील का ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, विनिश्चय करेगा।

अध्याय 11

केन्द्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति

60. केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड का गठन—(1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए करेगी।

(2) केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहाकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

- (क) केन्द्रीय सरकार के दिव्यांगता कार्य विभाग का प्रभारी मंत्री—पदेन अध्यक्ष;
- (ख) केन्द्रीय सरकार के दिव्यांगता कार्य मंत्रालय में दिव्यांगता कार्य विभाग से संबंधित प्रभारी राज्य मंत्री—पदेन उपाध्यक्ष;
- (ग) तीन सांसद, जिनमें से दो का निर्वाचन लोक सभा द्वारा और एक का राज्य सभा द्वारा किया जाएगा—पदेन सदस्य;
- (घ) सभी राज्यों के दिव्यांगता कार्य के प्रभारी मंत्री और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक उपराज्यपाल—पदेन सदस्य;
- (ङ) दिव्यांगता कार्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, व्यय, कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, विधि कार्य, लोक उद्यम, युवा कार्य और खेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागर विमानन मंत्रालयों या विभागों के भारसाधक सचिव, भारत सरकार—पदेन सदस्य;
- (च) सचिव, नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ट्रांसफार्मिंग इन्डिया (नीति) आयोग—पदेन सदस्य;
- (छ) अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद्—पदेन सदस्य;
- (ज) अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, स्वपरायणता, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता कल्याण न्यास—पदेन सदस्य;
- (झ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम—पदेन सदस्य;
- (ञ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम—पदेन सदस्य;
- (ट) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड—पदेन सदस्य;
- (ठ) महानिदेशक, नियोजन और प्रशिक्षण, श्रम और रोजगार मंत्रालय—पदेन सदस्य;
- (ड) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्—पदेन सदस्य;
- (ढ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्—पदेन सदस्य;
- (ण) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—पदेन सदस्य;
- (त) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्—पदेन सदस्य;
- (थ) निम्नलिखित संस्थानों के निदेशक पदेन सदस्य होंगे,—
- (i) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून;
 - (ii) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकन्दराबाद;
 - (iii) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली;
 - (iv) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुम्बई;
 - (v) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता;
 - (vi) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक;
 - (vii) राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई;
 - (viii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान संस्थान, बैंगलोर;
 - (ix) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली;
- (द) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य,—
- (i) पांच व्यक्ति जो दिव्यांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं;

(ii) दिव्यांगता से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों या दिव्यांगजन संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे दस व्यक्ति, जो दिव्यांगजन हों:

परंतु नामनिर्दिष्ट दस व्यक्तियों में से कम से कम पांच महिलाएं होंगी और कम से कम एक-एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होगा;

(iii) राष्ट्रीय स्तर के वाणिज्य और उद्योग-मंडल में से तीन प्रतिनिधि तक;

(ध) दिव्यांगता नीति के विषय से संबंधित भारत सरकार का संयुक्त सचिव—पदेन सदस्य-सचिव।

61. सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें—(1) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परंतु ऐसा सदस्य उसकी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ठीक समझे तो धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसे हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद से हटा सकेगी।

(3) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तत्पश्चात् उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

(4) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पद वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(5) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (द) के उपखंड (i) या उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(6) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (द) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

62. निरर्हता—(1) कोई व्यक्ति केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा,—

(क) जो दिवालिया है या जिसे किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या उसने अपने ऋणों के संदाय को निलंबित किया है या अपने लेनदारों के साथ उपशमन किया है, या

(ख) जो विकृतचित्त है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) जो ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है या ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या

(घ) जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है या जिसे किसी समय सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ङ) जिसने केन्द्रीय सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है जो उसके पद पर बने रहने को साधारण जनता के हितों के प्रतिकूल ठहराता है।

(2) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाए जाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध सदस्य को उसके विरुद्ध हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

(3) धारा 61 की उपधारा (1) या उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पद से हटाया गया कोई सदस्य, सदस्य के पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

63. सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति—यदि केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य, धारा 62 में विनिर्दिष्ट निरर्हताग्रस्त हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

64. केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठकें—केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसे नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो विहित की जाएं।

65. केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के कृत्य—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड, दिव्यांगता विषयों पर राष्ट्रीय स्तर का परामर्शदाता और सलाहकार निकाय होगा और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपयोग के लिए समग्र नीति के सतत् विकास को सुकर बनाएगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को दिव्यांगता के बारे में नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना;

(ख) दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति का विकास करना;

(ग) सरकार के सभी विभागों तथा सरकारी और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के, जो दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों से संबंधित हैं, कार्यकलापों का पुनर्विलोकन और समन्वयन करना;

(घ) राष्ट्रीय योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ दिव्यांगजनों के मामलों पर विचार करना;

(ङ) सूचना, सेवाओं के प्रति दिव्यांगजनों की पहुंच, युक्तियुक्त वास और भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए और उसके लिए वातावरण तैयार करना तथा सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(च) दिव्यांगजनों की संपूर्ण भागीदारी की सफलता के लिए विधियों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की मानीटरी और मूल्यांकन करना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

66. राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड—(1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए करेगी।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) राज्य सरकार के दिव्यांगता मामलों से संबंधित विभाग का प्रभारी मंत्री—अध्यक्ष पदेन;

(ख) राज्य सरकार के दिव्यांगता मामलों से संबंधित विभाग यदि कोई है, का प्रभारी राज्य मंत्री या उपमंत्री—उपाध्यक्ष पदेन;

(ग) दिव्यांगता कार्य, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, वित्त, कार्मिक और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, श्रम और रोजगार, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक उद्यम, युवा कार्य और खेल, सड़क परिवहन और कोई अन्य विभाग जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझे, के भारसाधक राज्य सरकार के सचिव—पदेन सदस्य;

(घ) राज्य विधान-मंडल के तीन सदस्य जिनमें से दो का निर्वाचन विधान सभा द्वारा और एक सदस्य का विधान परिषद्, यदि कोई हो, द्वारा किया जाएगा और जहां कोई विधान परिषद् नहीं है, वहां तीनों सदस्यों का निर्वाचन विधान सभा द्वारा किया जाएगा—सदस्य पदेन;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्य—

(i) पांच सदस्य जो दिव्यांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं;

(ii) जिलों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रतिनिधित्व करने के लिए चक्रानुक्रम में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच सदस्य;

परंतु इस उपखंड के अधीन कोई नामनिर्देशन सिवाय संबंधित जिला प्रशासन की सिफारिश के नहीं किया जाएगा;

(iii) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों, जो दिव्यांगता से संबद्ध है, का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे दस व्यक्ति, जो दिव्यांगजन हों:

परंतु इस उपखंड के अधीन नामनिर्दिष्ट दस व्यक्तियों में से कम से कम पांच महिलाएं होंगी और कम से कम एक-एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होगा;

(iv) राज्य वाणिज्य और उद्योग मंडल में से तीन से अनधिक प्रतिनिधि;

(च) राज्य सरकार में दिव्यांगता विषयों से संबंधित विभाग में ऐसा अधिकारी जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो—पदेन सदस्य—सचिव।

67. सदस्यों की सेवा के निबंध और शर्तें—(1) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परंतु ऐसा सदस्य उसकी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती पदग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) राज्य सरकार यदि वह ठीक समझे तो धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसे हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद से हटा सकेगी।

(3) धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तत्पश्चात् उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

(4) राज्य सलाहकार बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(5) धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ड) के उपखंड (i) या उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(6) धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ड) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

68. निरहता—(1) कोई व्यक्ति राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा—

(क) जो दिवालिया है या जिसे किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या उसने अपने ऋणों के संदाय को निलंबित किया है या अपने लेनदारों के साथ उपशमन किया है, या

(ख) जो विकृतचित्त है या उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) जो किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है या ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या

(घ) जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है या जिसे किसी समय सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ङ) जिसने राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है जिससे उसका राज्य सलाहकार बोर्ड में बने रहना साधारण जनता के हितों के लिए हानिकर है।

(2) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा पद से हटाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को, उसके विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

(3) धारा 67 की उपधारा (1) या उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य जो इस धारा के अधीन हटाया गया है, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

69. स्थानों का रिक्त होना—यदि राज्य सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य धारा 68 में विनिर्दिष्ट निरहता ग्रस्त हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

70. राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठकें—राज्य सलाहकार बोर्ड प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के ऐसे नियमों या प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

71. राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के कृत्य—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य सलाहकार बोर्ड दिव्यांगता मामलों पर एक राज्यस्तरीय परामर्शदाता और सलाहकार निकाय होगा तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपभोग के लिए समग्र नीति के सतत् विकास को सुकर बनाएगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) राज्य सरकार को दिव्यांगता की बाबत नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना;

(ख) दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राज्य नीति का विकास करना;

(ग) राज्य सरकार के सभी विभागों और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के, जो दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों से संबंधित हैं, कार्यकलापों का पुनर्विलोकन और समन्वय करना;

(घ) राज्य योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ दिव्यांगजनों के मामलों पर विचार करना;

(ङ) दिव्यांगजनों के लिए पहुंच, युक्तियुक्त रूप से वास, भेदभावहीनता सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना और वातावरण तैयार करना तथा अन्य व्यक्तियों के समान आधार पर सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी करना;

(च) दिव्यांगजनों की संपूर्ण भागीदारी की सफलता के लिए विधियों, नीतियों और डिजाइन किए गए कार्यक्रमों के प्रभाव की मानीटरी और मूल्यांकन करना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

72. जिला स्तर दिव्यांगता समिति—राज्य सरकार, ऐसे कृत्य जो विहित किए जाएं, का पालन करने के लिए जिला स्तर दिव्यांगता समितियों का गठन करेगी।

73. रिक्तियों से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड, राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड या जिला स्तर दिव्यांगता समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी कि, यथास्थिति, ऐसे बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति है या गठन में कोई त्रुटि है।

अध्याय 12

दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त

74. मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मुख्य आयुक्त” कहा गया है) नियुक्त कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार मुख्य आयुक्त की सहायता करने के लिए अधिसूचना द्वारा दो आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगी, जिनमें से एक आयुक्त दिव्यांगजन होगा।

(3) कोई व्यक्ति मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि उसे पुनर्वास से संबंधित विषयों के संबंध में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव न हो।

(4) मुख्य आयुक्त और आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिसके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं) वे होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(5) केन्द्रीय सरकार मुख्य आयुक्त की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति तथा प्रवर्गों का अवधारण करेगी और मुख्य आयुक्त को उतने ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो वह ठीक समझे।

(6) मुख्य आयुक्त को उपलब्ध कराए गए अधिकारी और कर्मचारी मुख्य आयुक्त के साधारण अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(7) अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(8) मुख्य आयुक्त की एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता की जाएगी, जो विभिन्न दिव्यांगताओं के क्षेत्र से ग्यारह से अन्यून सदस्यों से ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, मिलकर बनेगी।

75. मुख्य आयुक्त के कृत्य—(1) मुख्य आयुक्त,—

(क) स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि के उपबंध या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत हैं और आवश्यक सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा;

(ख) स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षोपायों की जांच करेगा जिनके लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा;

(ग) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षोपायों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा;

(घ) उन कारकों का पुनर्विलोकन करेगा, जो दिव्यांगजनों के अधिकारों का उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा;

(ड) दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करेगा;

(च) दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसका संवर्धन करेगा;

(छ) दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षोपायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा;

(ज) दिव्यांगजनों के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों, स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरी करेगा;

(झ) दिव्यांगजनों के फायदे के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोजन की मानीटरी करेगा; और

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों को करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

(2) मुख्य आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए किसी भी विषय पर आयुक्तों से परामर्श करेगा।¹

76. मुख्य आयुक्त की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई—जब भी मुख्य आयुक्त धारा 75 की [उपधारा (1) का] खंड (ख) के अनुसरण में किसी प्राधिकारी को सिफारिश करता है तो वह प्राधिकारी उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और सिफारिश प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर की गई कार्रवाई से मुख्य आयुक्त को सूचित करेगा :

परन्तु जहां कोई प्राधिकारी किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है तो वह उसके स्वीकार नकरने के कारणों को तीन मास की कात्यावधि के भीतर मुख्य आयुक्त को बताएगा और व्यक्ति व्यक्तियों को भी सूचित करेगा।

77. मुख्य आयुक्त की शक्तियां—(1) मुख्य आयुक्त को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना;

(ख) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की अध्यपेक्षा करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; और

(ङ) किसी साक्षी या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(2) मुख्य आयुक्त के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, (1974 का 2) 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

78. मुख्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्ट—(1) मुख्य आयुक्त केन्द्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी विषय पर विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकेगा जो उसकी राय में ऐसी अत्यावश्यकता या महत्ता का है कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जा सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार, मुख्य आयुक्त की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या किए जाने के प्रस्तावित कार्रवाई और सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों, पद एक ज्ञापन के साथ रखवाएगी।

(3) वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार किया जाएगा तथा उनमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

79. राज्यों में राज्य आयुक्त की नियुक्ति—(1) राज्य सरकार अधिसूचा द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिव्यांगजनों के लिए एक राज्य आयुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ राज्य आयुक्त ” कहा गया है) नियुक्त करेगी।

(2) कोई व्यक्ति राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि उसे पुनर्वास से संबंधित विषयों के संबंध में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव न हो।

(3) राज्य आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिसके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं) वे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

¹ 2018 के अधिनियम सं० 4 की धारा 3 की दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित।

(4) राज्य सरकार, राज्य आयुक्त की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति तथा प्रवर्गों का अवधारण करेगी और राज्य आयुक्त को उतने ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो वह ठीक समझे।

(5) राज्य आयुक्त को उपलब्ध कराए गए अधिकारी और कर्मचारी राज्य आयुक्त के साधारण अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(6) अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(7) राज्य आयुक्त की एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता की जाएगी, जो विभिन्न दिव्यांगताओं के क्षेत्र से पांच से अन्यून सदस्यों से ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, मिलकर बनेगी।

80. राज्य आयुक्त के कृत्य—राज्य आयुक्त,—

(क) स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि के उपबंधों या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत हैं और आवश्यक सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा;

(ख) स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षोपायों की जांच करेगा जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा;

(ग) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षोपायों का पुनर्विलोकन करेगा और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा;

(घ) उन कारकों का पुनर्विलोकन करेगा जो दिव्यांगजनों के अधिकारों का उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा;

(ङ) दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसका संवर्धन करेगा;

(च) दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षोपायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा;

(छ) दिव्यांगजनों के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरी करेगा;

(ज) दिव्यांगजनों के फायदे के लिए राज्य सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोजन की मानीटरी करेगा; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों को करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

81. राज्य आयुक्त की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई—जब भी राज्य आयुक्त धारा 80 के खंड (ख) के अनुसरण में किसी प्राधिकारी को सिफारिश करता है तो वह प्राधिकारी उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और सिफारिश प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर की गई कार्रवाई से राज्य आयुक्त को सूचित करेगा:

परंतु जहां कोई प्राधिकारी किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है तो वह उसके स्वीकार न करने के कारणों को तीन मास की कालावधि के भीतर दिव्यांगजन राज्य आयुक्त को बताएगा और व्यथित व्यक्ति को भी सूचित करेगा।

82. राज्य आयुक्त की शक्तियां—(1) राज्य आयुक्त को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना;

(ख) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की अध्यपेक्षा करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; और

(ङ) किसी साक्षी या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(2) राज्य आयुक्त के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

83. (1) राज्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्टें—राज्य आयुक्त, राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी विषय पर विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकेगा, जो उसकी राय में ऐसी अत्यावश्यकता या महत्ता की है कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जा सकता है।

(2) राज्य सरकार राज्य आयुक्त की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष उसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों, पर एक ज्ञापन के साथ रखवाएगी।

(3) वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार किया जाएगा तथा उनमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

अध्याय 13

विशेष न्यायालय

84. विशेष न्यायालय—त्वरित विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।

85. विशेष लोक अभियोजक—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता की नियुक्ति करेगी जो सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ऐसी फीस या पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

अध्याय 14

दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि

86. दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि—(1) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(क) अधिसूचना सं० का०आ० 573 (अ), तारीख 11 अगस्त, 1983 द्वारा गठित दिव्यांगजनों के लिए निधि और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के अधीन अधिसूचना सं०का०आ० 30-03/2004-डीडी II, तारीख 21 नवंबर, 2006 द्वारा गठित दिव्यांगजन सशक्तिकरण न्यास निधि के अधीन उपलब्ध सभी राशियां;

(ख) 2000 की सिविल अपील सं० 4655 और 5218 में तारीख 16 अप्रैल, 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में बैंकों, निगमों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा संदेय सभी राशियां;

(ग) अनुदान, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों के माध्यम से प्राप्त सभी राशियां;

(घ) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सभी राशियां जिनके अंतर्गत सहायता अनुदान भी हैं;

(ङ) अन्य ऐसे स्रोतों से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, सभी राशियां।

(2) दिव्यांगजनों के लिए निधि का उपयोग और प्रबंध ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए।

87. लेखा और संपरीक्षा—(1) केन्द्रीय सरकार, उचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगी और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, निधि के लेखाओं का वार्षिक विवरण जिसके अंतर्गत आय और व्यय लेखा भी है, तैयार करेगी।

(2) निधि के लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर संपरीक्षित किए जाएंगे जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत किसी भी व्यय का संदाय भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को निधि से किया जाएगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और निधि के लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राप्त होते हैं और विशिष्टया लेखा बहियों, संबद्ध वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागज-पत्रों को पेश करने की मांग करने तथा निधि के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निधि के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

अध्याय 15

दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि

88. दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि—(1) राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि नामक एक निधि का ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, गठन किया जाएगा।

(2) दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि का उपयोग और प्रबंध ऐसी रीति में किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) प्रत्येक राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए निधि, जिसके अंतर्गत आय और व्यय लेखे भी हैं, के उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख ऐसी रीति में रखेगी, जो राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाएं।

(4) दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विहित किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत व्यय का संदाय भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को राज्य निधि से किया जाएगा।

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राप्त होते हैं और विशेष रूप से लेखा बहियों, संबद्ध वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्र पेश करने की मांग करने तथा राज्य निधि के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(6) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित राज्य निधि के लेखे उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के, जहां वह दो सदन से मिलकर बना है या जहां ऐसे विधान-मंडल में एक सदन है, उस सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

अध्याय 16

अपराध और शास्तियां

89. अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड—कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पहले उल्लंघन के लिए जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चात्कर्ती उल्लंघन के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

90. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और तदनुसार दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा का कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

सपष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम सम्मिलित है; और

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

91. संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आशयित किसी फायदे को कपटपूर्वक लेने के लिए दंड—जो कोई कपटपूर्वक संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आशयित किसी फायदे को लेता है या लेने का प्रयत्न करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

92. अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड—जो कोई—

(क) किसी लोक दृष्टिगोचर स्थान में दिव्यांगजन को साशय अपमानित करता है या अपमान करने के आशय से अभिन्नस्त करता है;

(ख) किसी दिव्यांगजन पर, उसका अनादर के आशय से हमला करता है या बल प्रयोग करता है या दिव्यांग महिला की लज्जा भंग करता है;

(ग) किसी दिव्यांगजन पर वास्तविक प्रभार या नियंत्रण रखते हुए, स्वेच्छया या जानते हुए उसे भोजन या तरल पदार्थ देने से इन्कार करता है;

(घ) किसी दिव्यांग बालक या महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होते हुए और उस स्थिति का उपयोग उनका लैंगिक रूप से शोषण करने के लिए करता है;

(ङ) किसी दिव्यांगजन के किसी अंग या इंद्रिय या सहायक युक्ति के उपयोग में स्वेच्छया क्षति, नुकसान पहुंचाता है या बाधा डालता है;

(च) किसी दिव्यांग महिला पर कोई चिकित्सीय प्रक्रिया करता है, उसका संचालन करता है, किए जाने के लिए यह निदेश करता है जिससे उसकी अभिव्यक्त सम्मति के बिना गर्भवस्था की समाप्ति होती है या समाप्त होने की संभावना है, सिवाय उन मामलों में जहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्य व्यवसायियों की राय लेकर दिव्यांगता के गंभीर मामलों में गर्भवस्था के समापन के लिए और दिव्यांग महिला के संरक्षक की सहमति से भी चिकित्सीय प्रक्रिया की गई है,

ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

93. जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए दंड—जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए किसी आदेश, या निदेश के अधीन पुस्तिका, लेखा या अन्य दस्तावेज पेश करने में या कोई विवरणी, जानकारी या विशिष्टियां इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए किसी आदेश या निदेश के उपबंधों के अनुसरण में पेश करने या देने या किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कर्तव्यबद्ध है, को पेश करने में असफल रहता है वह प्रत्येक अपराध की बाबत जुर्माने से दंडनीय होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और चालू असफलता या इंकार की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो जुर्माने के दंड के अधिरोपण के मूल आदेश की तारीख के पश्चात् चालू असफलता या इंकार के प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

94. समुचित सरकार का पूर्वानुमोदन—कोई न्यायालय समुचित सरकार के पूर्वानुमोदन या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा फाइल किए गए किसी परिवाद के सिवाय, इस अध्याय के अधीन समुचित सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा किए जाने के लिए अभिकथित किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

95. अनुकल्पी दंड—जहां इस अधिनियम के अधीन और किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के भी अधीन कोई कार्य या लोप किसी अपराध को गठित करता है तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया अपराधी केवल ऐसे अधिनियम के दंड के लिए भागी होगा जो ऐसे दंड के लिए उपबंध करता है, जो कि डिग्री में अधिक है ।

अध्याय 17

प्रकीर्ण

96. अन्य विधियों का लागू होना, वर्जित न होना—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि अल्पीकरण में ।

97. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही समुचित सरकार या समुचित सरकार के किसी अधिकारी या मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

98. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

99. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति—(1) समुचित सरकार द्वारा की गई सिफारिशों पर या अन्यथा यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची का संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) प्रत्येक ऐसी अधिसूचना इसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

100. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम, निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन दिव्यांगता अनुसंधान समिति के गठन की रीति;
- (ख) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन समान अवसर नीति अधिसूचित करने की रीति;
- (ग) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक स्थापन द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण का प्ररूप और रीति;
- (घ) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन शिकायत अनुतोष अधिकारी द्वारा शिकायतों के रजिस्टर के अनुरक्षण की रीति;
- (ङ) धारा 36 के अधीन विशेष रोजगार कार्यालय के लिए स्थापन द्वारा जानकारी और विवरणी प्रस्तुत करने की रीति;
- (च) धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारण बोर्ड की संरचना और उपधारा (3) के अधीन निर्धारण बोर्ड द्वारा किए जाने वाले निर्धारण की रीति;
- (छ) धारा 40 के अधीन दिव्यांगजनों की पहुंच के लिए मानक अधिकथित करने के लिए नियम;
- (ज) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन दिव्यांगता प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए आवेदन की रीति और उपधारा (2) के अधीन दिव्यांगता के प्रमाणपत्र का प्ररूप;
- (झ) धारा 61 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;
- (ञ) धारा 64 के अधीन केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में कारवार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम;
- (ट) धारा 73 की उपधारा (4) के अधीन मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;
- (ठ) धारा 74 की उपधारा (7) के अधीन मुख्य आयुक्त के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें;
- (ड) धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन सलाहकार समिति की संरचना और विशेषज्ञों की नियुक्ति की रीति;
- (ढ) धारा 78 की उपधारा (3) के अधीन मुख्य आयुक्त द्वारा तैयार की जाने वाली और प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप, रीति और अंतर्वस्तु;
- (ण) धारा 86 की उपधारा (2) के अधीन प्रक्रिया, निधि का उपयोग और प्रबंध की, रीति;
- (त) धारा 87 की उपधारा (1) के अधीन निधि के लेखाओं की तैयारी के लिए प्ररूप।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

101. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास से अनधिक की अवधि के अपश्चात् इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन दिव्यांगता अनुसंधान के लिए समिति के गठन की रीति;
- (ख) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन किसी सीमित संरक्षक की सहायता उपलब्ध कराने की रीति;
- (ग) धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए किसी आवेदन को करने का प्ररूप और रीति;
- (घ) धारा 51 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए संस्थान द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और पूरे किए जाने वाले मानक;
- (ङ) धारा 51 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र से संलग्न प्ररूप और शर्तें;
- (च) धारा 51 की उपधारा (7) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के निपटान की अवधि;
- (छ) वह अवधि जिसके भीतर धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन अपील की जाएगी;
- (ज) धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का समय और रीति और उपधारा (2) के अधीन ऐसी अपील के निपटान की रीति;
- (झ) धारा 67 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;
- (ञ) धारा 70 के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम;
- (ट) धारा 72 के अधीन जिला स्तर समिति की संरचना और कृत्य;
- (ठ) धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयुक्त का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;
- (ड) धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयुक्त के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;
- (ढ) धारा 79 की उपधारा (7) के अधीन सलाहकार समिति की संरचना और विशेषज्ञों की नियुक्ति की रीति;
- (ण) धारा 83 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयुक्त द्वारा तैयार की जाने वाली और प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक और विशेष रिपोर्टों का प्ररूप, रीति और अंतर्वस्तु;
- (त) धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन विशेष लोक अभियोजक को संदत्त की जाने वाली फीस या पारिश्रमिक;
- (थ) धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के गठन की रीति और उपधारा (2) के अधीन राज्य निधि के उपयोग और प्रबंध की रीति;
- (द) धारा 88 की (3) के अधीन दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के खातों को तैयार करने के लिए प्ररूप ।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष जहां दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

102. निरसन और व्यावृत्ति—(1) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) इसके द्वारा निरसित जाता है ।

(2) उक्त अधिनियम के ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची

[धारा 2 का खंड (यग) देखें]

विनिर्दिष्ट दिव्यांगता

1. शारीरिक दिव्यांगता—

(अ) गतिविषयक दिव्यांगता (सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीककाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसके अंतर्गत—

(क) “कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है किंतु निम्नलिखित से पीड़ित है—

(i) हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का ह्रास के साथ-साथ आंख और पलक में सुग्राहीकरण का ह्रास और आंशिक घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है;

(ii) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(iii) अत्यंत शारीरिक विरूपता के साथ-साथ वृद्ध जो उसे लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और “कृष्ट रोगमुक्त व्यक्ति” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) “प्रमस्तिष्क घात” से कोई गैर-प्रगामी तन्त्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के संचलन को और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात् होता है;

(ग) “बौनापन” से कोई चिकित्सय या आनुवांशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फीट दस इंच (147 से०मी०) या उससे कम रह जाती है;

(घ) “पेशीयदुष्पोषण” से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचलित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है;

(ङ) “तेजाबी आक्रमण पीड़ित” से तेजाब या समान संशारित पदार्थ को फेंककर किए गए हिंसक हमले के कारण विद्रूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(आ) दृष्टिगत ह्रास—

(क) “अंधता” से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है, —

(i) दृष्टि का पूर्णतया अभाव; या

(ii) सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्षणता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम, या

(iii) 10 डिग्री से कम के किसी कोण पर कक्षांतरित दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) “निम्न दृष्टि” से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्:—

(i) बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्षणता; या

(ii) 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा;

(इ) “श्रवण शक्ति का ह्रास” —

(क) “बधिर” से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं;

(ख) “ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति” से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबिल से 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ई) “वाक् और भाषा दिव्यांगता” से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है

2. “बौद्धिक दिव्यांगता” से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या, समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कोशलों की रेंज है, जिसके अंतर्गत—

(क) “विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं” से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विद्यमान होती है जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक दिव्यांगता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी हैं;

(ख) “स्वपरायणता स्पेक्ट्रस विकार” से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टतः जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की

क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या धिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3. मानसिक व्यवहार,—

“मानसिक रुग्णता” से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4. निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता—

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे—

(i) “बहु-स्केलेरोसिक” से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिक कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायलीनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) “पार्किंसन रोग” से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जो कम्प, पेशी कठोरता और धीमा, कठिन संचलन द्वारा चिह्नार्कित होता है जो मुख्यतया मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामई के ह्रास से संबद्ध मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है;

(ख) रक्त विकृति—

(i) “हेमोफीलिया” से एक आनुवंशिकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे महिला द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे छोटे से घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) “थेलेसीमिया” से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अभाव है;

(iii) “सिक्कल कोशिका रोग” से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीडादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है, “हेमोलेटिक” लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5. बहुदिव्यांगता (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं) जिसके अंतर्गत बधिरता, अंधता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति के श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत हैं।

6. कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

